BULANDSHAHR POLICE

दिनांक- 21 सितम्बर, 2025 थाना अरनिया

ध्यानपाल उर्फ गुड्डू की हत्या में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल नीम का डंडा व पत्थर की पटिया बरामद।

अवगत कराना हैं कि दिनांक 19-09-2025 को वादी अनिल कुमार पुत्र गजराज सिहं निवासी ग्राम रनियावली थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर ने थाना अरनिया पर तहरीर दी कि दिनांक 18-09-2025 को उसके गांव निवासी अभिषेक उर्फ आशू उर्फ कालिया ने पैसो के लेन देन को लेकर उसके भाई की हत्या कर दी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अरनिया पर मुअसं- 299/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के क्रम में थाना अरनिया पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्त अभिषेक उर्फ आशू उर्फ कालिया व गुड्डू उर्फ कालू को गिरफ्तार किया गया हैं।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अरनिया पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. अभिषेक उर्फ आशू उर्फ कालिया पुत्र शंकरलाल निवासी ग्राम रनियावली थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर
2. गुड्डू उर्फ कालू पुत्र योगेन्द्र निवासी उपरोक्त।

बरामदगी-

1. नीम का डंडा (घटना में प्रयुक्त)
2. पत्थर की पटिया (घटना में प्रयुक्त)

घटना का कारण- गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक उर्फ आशू उर्फ कालिया ने बताया कि टीएचडीसी दशहरा एसेन्ट कम्पनी के द्वारा किये जा रहे सिविल वर्क मे लेंटर मे लोहे का जाल बनाने हेतु लेवर उपलब्ध करवाता था तथा उसने मृतक ध्यानपाल उर्फ गुड्डू को कुछ दिन के लिए दिहाडी पर एसेन्ट कम्पनी में लगवाया था। मृतक ध्यानपाल उर्फ गुड्डू ने कुछ दिन काम करने के उपरान्त काम छोड दिया और बार बार अपनी दिहाडी के पैसे मांग रहा था। एसेन्ट कम्पनी ने मृतक ध्यानपाल उर्फ गुड्डू की दिहाडी के पैसे उसे दे दिये थे जो उससे खर्च हो गये थे। दिनांक 17.09.2025 को मृतक ध्यानपाल उर्फ गुड्डू अपनी दिहाडी के पैसे मागने उसके घर पहुच गया। घर पर उसकी मां थी, मृतक द्वारा उसकी मां के साथ गाली गलौच की गयी। इसी बात वह बहुत आहत था। दिनांक 18-09-2025 को मृतक उसे मिला जहां पर दोनो के मध्य विवाद/कहासुनी हो गयी। फिर शाम के समय वह अभियुक्त गुड्डू उर्फ कालू के साथ खेत पर बैठ पर शराब पी रहा था, शाम के समय मृतक भी वहां आ गया तथा तीनों ने साथ बैठकर शारब पी। जब शराब खत्म हो गयी तो वे तीनों ओर शराब लेने के लिए चल दिये उसने कहां की इस बार शराब के पैसे मृतक ध्यानपाल उर्फ गुड्डू देगा। इसी बात को लेकर मृतक द्वारा उनके साथ गाली गलौच की गयी। उनके द्वारा नीम के पैड से डंडा तोडकर मृतक पर वार किया, जब भागने लगा तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा पास में पडी पत्थर की पटिया से मृतक के चेहरे, सिर एवं सीने पर कई वार किये तथा वहां से फरार हो गये।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राजकुमार सिंह थाना प्रभारी थाना अरनिया
2. उ0नि0 अशोक कुमार, उ0नि0 मोहित कुमार
3. का0 मोहित कुमार, का0 ललित कुमार, का0 हिमांशु, का0 जितेन्द्र, का0 ऋषि, का0 विष्णु।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।